उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2013/08(120)/XXVII(8)/2003
देहरादून:: दिनांक :: 03 ~~जून~~ जुलाई, 2013

: कार्यालय–ज्ञाप :

"उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न विभागों, राजकीय निगमों एवं उपक्रमों के मध्य समय–समय पर विवाद होते रहते हैं। अधिकांश विवाद व्यापार कर, वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, विद्युत, एक्साईज एवं अन्य राजस्व के देयों(demands) से संबंधित होते हैं। इनमें से एक पक्ष दूसरे पक्ष के किसी आदेश से अथवा किसी कार्यवाही (proceedings) से क्षुब्ध(aggrived) होने अथवा उसे विवादित समझने पर, कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल में चुनौती देने के उद्देश्य से मुकदमा दायर करते रहते हैं और ऐसे विवादों हेतु दोनों पक्षों द्वारा, लोक धन से counsel की फीस, कोर्ट फीस एवं procedural expenses वहन किये जाते हैं, ऐसी मुकदमेबाजी (litigations) से समय की बर्बादी भी होती है जो लोक हित में नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Oil And Natural Gas Commission बनाम Collector Of Central Excise के वाद [1994] 70 ELT 45 / [2004] 6 SCC 437 में दिए गए निर्णय 07 जनवरी, 1994 में ऐसे विवादों के निस्तारण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं और साथ ही इस संबंध में उत्पन्न mis-conceptions, doubts एवं problems के सन्दर्भ में **clarification** भी जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समादर करते हुए, ऐसे विवादों के निस्तारण के संबंध में पूर्व में जारी किए गए कार्यालय ज्ञाप सं0 सं0 2173 दिनांक 06 जून, 2001, कार्यालय ज्ञाप सं0 सं0 1331 दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 एवं ऐसे मामलों में वसूली प्रमाण पत्र जारी न करने संबंधी शासन के आदेश सं0 264/(कैम्प)/वि0अनु0–5/XXVII(5)/2005 दिनांक 24 फरवरी, 2005 को अतिक्रमित करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है–

(1) उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न विभागों, राजकीय निगमों एवं उपक्रमों के मध्य उक्त प्रकार के विवादों (controversies) को, जहाँ तक सम्भव हो हल (resolve) करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति(High Power Committee) का गठन निम्न रूप में किया जाता है :–

1– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3– प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4– जिस विभाग, राजकीय निगम अथवा उपक्रम के मध्य विवाद है उनके प्रमुख सचिव/सचिव,	सदस्य

अधीनस्थ अधिकारियों, जिन्हें आवश्यक समझा जाय, को भी समिति के सहायतार्थ उसकी बैठक में बुलाया जा सकता है। यह समिति मुख्य सचिव के चरम नियंत्रण(ultimate control) में कार्य करेगी।

(2) आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकार के प्रत्येक विवाद को High Power Committee को सन्दर्भ(reference) किया जायेगा और किसी भी विवाद को समिति से परीक्षण कराये बगैर एवं मुकदमेबाजी (litigation) हेतु अनुमति (clearance) लिए बगैर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में नहीं ले जाया जाएगा।

(3) कोर्ट या ट्रिब्यूनल में मुकदमेबाजी (litigation) हेतु clearance देने से पूर्व दोनों पक्षों को समिति के अन्दर ही सुलह (conciliation) का अवसर प्रदान किया जाएगा और भरसक प्रयास किया जायेगा कि ऐसे विवाद आपसी विचार–विमर्श के द्वारा सौहार्दपूर्ण (amicable) ढंग से समिति की मध्यस्थतता (good offices) से हल हो जायें। यदि समिति विवाद को हल करने में असमर्थ रहती हो तो उसके

3886
4/7/13
आवश्यक कार्यवाही हेतु

अपर आयुक्त कर
मुख्यालय, देहरादून

द्वारा इसके कारणों को अंकित (record) करते हुए litigation हेतु clearance प्रदान (grant) किया जायेगा।

(4) विवादों को High Power Committee को सन्दर्भ(reference) करने के लिए संयुक्त सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सरकारी विभाग/निगम/उपक्रम जिन्हें आगे पक्ष कहा जायेगा और जो किसी अन्य सरकारी विभाग/ निगम/उपक्रम, जिन्हें आगे विपक्ष कहा जायेगा, के आदेश अथवा कार्यवाही(proceedings) से क्षुब्ध हैं और उसे विवादित मानते हुए चुनौती देना चाहते हैं उनके द्वारा, प्रत्येक ऐसे आदेश अथवा कार्यवाही(proceedings) के संबंध में अलग–अलग, सन्दर्भ का नोटिस (notice of the reference) नोडल अधिकारी को दायर (lodge) करना होगा। नोटिस के साथ मामले का विवरणात्मक(narrative), लिखित पक्ष, उसके समर्थन में कागजात एवं विवादित माने गये आदेश अथवा कार्यवाही की प्रतियों सहित छः सैट (sets) दाखिल किये जायेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा इसका एक सैट विपक्ष के विभागाध्यक्ष को 15 दिन के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नोडल अधिकारी को सन्दर्भ का नोटिस (notice of the reference) दायर (lodge) करने के बाद यह परिकल्पित कर लिया जायेगा कि मामले का सन्दर्भ कर दिया गया है (the reference shall be deemed to have been made) और उसके बाद ही वह सन्दर्भ प्रभावी माना जायेगा। सन्दर्भ तभी वैध (valid) माना जायेगा जब राजकीय विभाग के मामले में वह उसके विभागाध्यक्ष द्वारा एवं राजकीय निगमों/उपक्रमों के मामलों में उसके प्रबन्ध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी (chief Executive) जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जायेगा।

(5) जिन विवादों का सन्दर्भ किया जायेगा, नोडल अधिकारी द्वारा उन्हें पंजीकृत (register) करते हुए एक UID (unique identification) नम्बर, सन्दर्भ के प्रभावी दिनांक सहित आवंटित किया जायेगा जिसकी सूचना नोडल अधिकारी द्वारा सन्दर्भ करने वाले पक्ष तथा विपक्ष को दी जायेगी।

(6) पुराने मामलों को, चाहे व पक्ष अथवा विपक्ष द्वारा पूर्व में सन्दर्भ अथवा प्रस्तुत किया गया हो, को भी प्राप्ति की पूर्व दिनांक से पंजीकृत करते हुए UID आवंटित किया जायेगा और उसकी सूचना दोनों पक्षों को दी जायेगी। मामले के प्रत्येक अभिलेख पर आवंटित UID का प्रयोग किया जायेगा। नये मामले में असन्तुष्ट (Aggrieved) पक्ष द्वारा विवाद को, नोडल अधिकारी के माध्यम से समिति को सन्दर्भ किया जायेगा।

(7) विपक्ष विभाग/निगम/उपक्रम द्वारा मामले का narrative, अपना पक्ष एवं उसके समर्थन में अन्य कागजात छः सैट में 15 दिन के अन्दर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा। नोडल अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वह दोनों पक्षों द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के एक–एक सैट को अध्ययन हेतु समिति के प्रत्येक सदस्य को पूर्व में ही उपलब्ध करायें। इसके उपरान्त अध्यक्ष से अनुमति लेकर गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक आहूत करेंगे तथा बैठक का कार्यवृत्त/आदेश भी निर्गत करेंगे। प्रत्येक मामले की पत्रावली अलग–अलग बनायी जायेगी।

(8) इस व्यवस्था के अन्तर्गत विवाद को सन्दर्भ किए जाने के बाद, विवादित आदेश अथवा कार्यवाही (proceedings) को तत्काल प्रभाव से स्थगित माना जायेगा। यह स्थगन High Power Committee द्वारा विवाद हल कर देने की दिनांक तक अथवा litigation का clearance देने की दिनांक तक प्रभावी रहेगा। विवाद के उक्त प्रकार से सन्दर्भ (reference) होने पर यदि किसी मामलों में वसूली प्रमाण पत्र जारी हो चुका हैं तो उसे, स्थगन के प्रभावी रहने तक वापस मंगा लिया जायेगा। किन्तु स्पष्ट किया जाता है कि स्रोत पर कर कटौती के लिए दायी होने पर भी कर कटौती न करना अथवा कर की कटौती करके उसे राजकोष में जमा न करने के कारण वसूली की कार्यवाही स्थगित नहीं की जायेगी।

(9) उक्त प्रकार के ऐसे विवाद, जो आज कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लम्बित हैं, भी उक्त समिति के विचार–विमर्श (deliberations) के विषय–वस्तु (subject matter) होंगे। यदि ऐसे विवाद High Power Committee को सन्दर्भ नहीं किए गए हैं तो एक माह के अन्दर सन्दर्भ कर दिए जायें। समिति इन मामलों को deal करेगी और शीघ्र से शीघ्र उन्हें हल करने का प्रयत्न (endeavour) करेगी।

(10) अपील अथवा पीटीशन के लिए निर्धारित समय–सीमा(limitation) को सुरक्षित करने के लिए (so as to save), शासन के विभागों/राजकीय निगमों/उपक्रमों को, उक्त प्रकार के विवादों के संबंध में किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील अथवा पीटीशन दायर (lodgement) करने की कोई रोक (bar) नहीं होगी किन्तु इसे दायर करने से पूर्व High Power Committee से clearance लेने का प्रत्येक यत्न(every endeavour) किया जायेगा।

(11) स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक पक्ष राज्य सरकार का विभाग/निगम/उपक्रम है और दूसरा पक्ष अन्य राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार का विभाग/निगम/उपक्रम है तो उनके मध्य विवादों को उक्त समिति द्वारा हल नहीं किया जा सकेगा। अतः ऐसे विवाद उक्त समिति को सन्दर्भ नहीं किये जायेंगे।

(12) समिति अपने अनुभवों के आधार पर अपने लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त(guidelines) निर्धारित कर सकती है।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पृ0प0सं0 658 /2013/08(120)/XXVII(8)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्यों को।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4– अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड।
5– उत्तराखण्ड सरकार के समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7– नोडल अधिकारी, गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति।
8– एन0आई0सी0
9– गार्ड फाइल हेतु।

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव, वित्त।